Topic 1 :– इराक में समलैंगिक संबंध अपराध घोषित

चर्चा में क्यों :– हाल ही में ईरान में समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित किया गया है अगर कोई ऐसे संबंध बनाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 15 साल की सजा होगी।

LGBTQ :– लेस्बियन यानी महिला की महिला में रुचि

गे यानी पुरुष की पुरुष में दिलचस्पी

बाइसेक्शुअल यानी ऐसे शख्स जिनका लड़की और लड़के दोनों में रुचि हो

ट्रांसजेंडर यानी जिन्होंने अपना लिंग बदलवा दिया हो

क्वीर यानी जिन लोगों को पता नहीं कि वे मेल हैं या फीमेल

ईरान में किए गए इन बदलावों के तहत समलैंगिक संबंध बनाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 10 से 15 साल की सजा का प्रावधान किया है

नए कानून में प्रावधान है कि ट्रांसजेंडर लोगों को भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है।

Result

कानून में किए गए बदलाव के कारण :–

1.इस्लामी कानून और उनके सामाजिक मूल्यों के खिलाफ जाने वालों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी ।

2.समलैंगिक संबंध को अपराध के तौर पर धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक बताया जाए।

इराक में किए गए बदलावों के तहत प्रावधान :–

1. समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले लोगों को जेल का प्रावधान

2. लिंग परिवर्तन से संबंधित सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को जेल का प्रावधान।

3. जानबूझकर महिलाओं की तरह बर्ताव करने वाले पुरुष को जेल का प्रावधान

4. पत्नी की अदला-बदली में शामिल लोगों को जेल की सजा का प्रावधान।

5. नए कानून के तहत समलैंगिक (सेम-सेक्स) संबंधों को बढ़ावा देने वाले लोगों के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है।

ईरान के द्वारा 1890 में थी प्रॉस्टिट्यूशन कानून में बदलाव किए गए थे जिसके तहत समलैंगिक संबंध बनाने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान था किंतु इस कानून का अमेरिका तथा कई पश्चिमी देशों ने विरोध किया जिसके कारण ईरान ने फिर से इन कानून में बदलाव किया है।

अमेरिका और यूरोप में विरोध :–

अमेरिका तथा यूरोप के कई देशों ने इस कानून को मानव अधिकार के विरोध में बताया तथा कहा कि इससे लोगों के अधिकारों तथा उनको प्रदान किए गए मानवाधिकारों को व्यापक तौर से प्रभावित किया जाएगा।

इराक और LGBTQ समुदाय

2022 में ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार :– इराक में व्यापक रूप से LGBTQ समुदाय को लंबे से प्रताड़ित और टारगेट किया जाता रहा है।

जिसके तहत इस समुदाय के प्रति किडनैपिंग, रेप, टॉर्चर और मर्डर की घटनाएं समय समय पर आती रहती हैं।

समलैंगिकता से संबंधित विश्व का नजरिया :–

ऐसे देश जिनमे समलैंगिक विवाह की अनुमति है :–

Result Mitra

अमेरिका,ऑस्ट्रेलिया,नीदरलैंड,अर्जेंटीना,ब्राजील, कनाडा,फ्रांस और जर्मनी।

ऐसे देश जिनमे समलैंगिक रिश्ता अपराध नहीं है:–

भारत,चीन,श्रीलंका,ब्रिटेन,नेपाल, रूस

ऐसे देश जिनमे समलैंगिकों को मौत की सजा का प्रावधान:–

पाकिस्तान,ईरान,युगांडा,यमन,सऊदी अरब, सोमालिया, ब्रुनेई, नाइजीरिया, कतर समेत दुनिया के 13 देशों में

दुनिया में समलैंगिक और उनकी वर्तमान में स्थिति :–

हाल ही में PEW रिसर्च सेंटर द्वारा LGBTQ+ समुदाय पर एक अध्ययन किया गया जिसमे बताया गया कि वर्तमान में दुनिया के 31 देशों के संविधान सेम सेक्स में शादी का अधिकार प्रदान करते है जिनमे मुख्य है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि ।

US में 72% लोग तथा कनाडा में 85%लोग (सबसे ज्यादा) LGBTQ+ को स्वीकार करते हैं।

समलैंगिक रिश्तों का इतिहास :–

समलैंगिकता की कहानी बहुत पुरानी है इसके प्रमाण हमें दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में देखने को मिलते है जैसे की मेसोपोटामिया से लेकर प्रचानी यूनान, चीन, जापान और अन्य सभ्यताओं में ।

मर्लिन यालोम ने अपनी किताब 'ए हिस्ट्री ऑफ द वाइफ' में लिखा है :– रोम में दूसरी और तीसरी सदी के समय समलैंगिक शादियां बेहद आम थीं।

जब ईसाई और इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो उसके साथ ही समलैंगिकों का शोषण प्रारंभ हो गया।

1791 के बाद समलैंगिकता के संबंध बदलाव देखने को मिलते हैं जब सबसे पहले इसी वर्ष फ्रांस समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला पहला देश बनता है फिर इसी का पालन अन्य देशों के द्वारा भी समय-समय पर किया गया।

वर्तमान में अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश (फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम) ऐसे हैं जो समलैंगिकता विवाह को कानूनी अधिकार प्रदान किए हुए हैं । दुनिया में ऐसे देशों की संख्या 31 है जो अपने संविधान में सेम सेक्स के बीच शादी की अनुमति देते है।

Result Mitra

भारत में समलैंगिक :–

भारत के कानून में 2018 से पहले तक समलैंगिक विवाह अपराध की श्रेणी में आता था ।

1861 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में समलैंगिकता पर पाबंदी लगाई गई थी जिसमे धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों पर सजा देने का कानून बनाया गया।

2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस की सुनवाई करते हुए फैसला दिया जिसके तहत आईपीसी (IPC) की धारा 377 के तहत समलैंगिकों के बीच सेक्स को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।

भारत में 62% लोग समलैंगिक विवाह (सेम सेक्स के बीच शादी) को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

जिससे पता चलता है कि भारत के समाज का एक बड़ा वर्ग LGBTQ+ को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है

समलैंगिकता के संबंधित आंदोलन :–

मॉडर्न मूवमेंट 1950 :–

अपने अधिकारों को लेकर LGBTQ+ समुदाय के लोगों ने होमोसेक्शुअल्टी को प्रमोट करने के लिए अमेरिका के लॉस एंजिल्स में पहला पुरुष संगठन 'मैटाचीन सोसाइटी' बनाया उसका गठन 1950 में किया गया ।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 1958 में समलैंगिकों को पत्रिका के पब्लिकेशन और अमेरिकी डाक सेवा से इसके प्रसारण का अधिकार प्रदान किया यह LGBTQ+ की पहली कानूनी जीत थी ।

ब्रिटेन में 1957 में सर जॉन वोल्फेंडेन आयोग का गठन किया गया जिसके कार्य समलैंगिक संबंधों पर विचार करना था

आयोग ने अपील की कि ‘‘वयस्कों के बीच निजी समलैंगिक संबंधों को आपराधिक कानून से बाहर किया जाए’’ । सरकार ने जॉन वोल्फेंडेन आयोग की इस शिफारिस को लागू कर दिया।

1970 और 80 के दशक में LGBTQ समुदाय के मॉडर्न मूवमेंट को अपार सफलताएं मिली जिसके तहत दुनिया भर में नेशनल गे एंड लेस्बियन टास्क फोर्स, इंटरनेशनल गे एंड लेस्बियन एसोसिएशन और ह्यूमन राइट कैंपेन जैसे समलैंगिक राजनीतिक संगठन बने।

Result Mitra

प्रश्न. **भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है? (2019)**

(a) अनुच्छेद 19
(b) अनुच्छेद 21
(c) अनुच्छेद 25
(d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b)

प्रश्न. निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरे की जाँच कीजिये। (2017)

Topic 2:- अनुच्छेद 244 (A)

चर्चा में क्यों :–

असम के आदिवासी-बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में यहां के निवासी संविधान के अनुच्छेद 244 (A) को लागू करने की मांग कर रहे हैं।

इस क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान संपन्न हुए , मतदान से पहले सभी राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त 'राज्य के भीतर राज्य' बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 (ए) को लागू करने का वादा किया है।

दीफू को एक राज्य के तौर पर स्थापित करने का मुद्दा काफी समय से चर्चा में रहा है।

संविधान का अनुच्छेद 244(ए) क्या है और दीफू लोगों से क्यों संबंधित है

अनुच्छेद 244 (A) के बारे में:

अनुच्छेद 244 (A) को संविधान में 22वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 द्वारा जोड़ा गया था।

प्रावधान :– अनुच्छेद 244 (A) में प्रावधान है की असम के भीतर ही कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का गठन किया जाएगा।

Result Mitra

गठित स्वायत्त राज्य के पास, स्थानीय प्रशासन के लिए अपना विधान-मंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों हो सकते हैं।

दीफू असम के 14 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है।

यह अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित है।

इसके अंतर्गत असम के तीन आदिवासी-बहुल पहाड़ी जिलों की छह विधानसभा क्षेत्र आते है ।

तीन आदिवासी-बहुल पहाड़ी जिले :– कार्बी आंगलोंग, पश्चिम कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ। इन तीनों जिलों का प्रशासन संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत प्रशासित किया जाता है।

छठी अनुसूची :– भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के उद्देश्य हैं:

पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था करना।

आदिवासी भूमि और संसाधनों की रक्षा करना और ऐसे संसाधनों को गैर-आदिवासी व्यक्तियों या समुदायों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाना।

यह सुनिश्चित करना कि जनजातीय समुदायों का गैर-आदिवासी आबादी द्वारा शोषण या हाशिए पर न रखा जाए और उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित किया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए।

स्वायत्तता की मांग की शुरूआत कब हुई :–

स्वायत्तता की मांग काफी पुरानी है ।

विभाजन से पूर्व असम के पहाड़ी इलाकों में 1950 के दशक में एक पृथक पहाड़ी राज्य की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ ।

इस आंदोलन के ही परिणामस्वरूप 1972 में मेघालय राज्य का निर्माण हुआ ।

1980 के दशक तक, यह मांग एक सशस्त्र अलगाववादी विद्रोह में बदल गई थी, जिसमें कार्बी समूह सबसे आगे थे। इस आंदोलन का हिस्सा कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार हिल्स के नेताओं को असम में रहने या मेघालय में शामिल होने का विकल्प दिया गया था।

किंतु अनुच्छेद 244 (ए) के माध्यम से जो वादा किया गया था उसके कारण, कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के नेताओं ने असम के साथ रहने का विकल्प चुना।

Result Mitra

आगे चल कर स्वायत्त राज्य मांग समिति (एएसडीसी) का गठन किया गया

उद्देश्य :– क्षेत्र की स्वायत्तता के लिए दबाव बनाने के लिए एक जन संगठन के रूप में एएसडीसी को स्थापित किया गया था

वर्तमान की स्थिति:–

1980 का दशक हिंसक आंदोलन प्रारंभ ।

नब्बे का दशक आते आते यह हिसंक आंदोलन एक सशस्त्र अलगाववादी विद्रोह में बदल गया।

वर्तमान में अब ये अलगाववादी अनुच्छेद-244 (क) को लागू करने के साथ ही विशेष शक्तियां और पूर्ण स्वायत्त राज्य का दर्जा देने की मांग भी कर रहे हैं।

सरकार की कार्यवाही :–

राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनो सशस्त्र बलों के साथ ही कूटनीतिक तरीकों से सशस्त्र अलगाववादी विद्रोह से निपट रही है।

फरवरी 2021 में सरकार् को एक बड़ी सफलता तब प्राप्त हुई जब अलगाववादी विद्रोहियों के एक बड़े समूह ने हथियार डालकर समर्पण किया था।

प्रश्न. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

1.राज्य के नीति निदेशक तत्त्व
2.ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय
3. पंचम अनुसूची
4. षष्टम अनुसूची
5.सप्तम अनुसूची

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3, 4 और 5
(c) केवल 1, 2 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

Result Mitra

उत्तर- (d)

Topic 3:- भारत का सेवा निर्यात

चर्चा में क्यों :– हाल ही में अंकटाड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमे 2023 में भारत के सेवा निर्यात में 11.4% की बढ़त होने की बात कही गई।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (अंकटाड) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत का सेवा निर्यात 2023 में 11.4% बढ़कर 345 बिलियन डॉलर हो गया। जबकि इसी अवधि के द्वारान चीन के सेवा निर्यात में 10.1 प्रतिशत की गिरावट आई है जिस कारण चीन का सेवा निर्यात घटकर 381 बिलियन डॉलर हो गया।

रिपोर्ट के कहा गया है कि भारत के सेवा निर्यात वृद्धि में मुख्य रूप से योगदान देने वाले क्षेत्रों में शामिल हैं :– परिवहन, चिकित्सकीय, यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र ।

रिपोर्ट में आयात के बारे में कहा गया की भारत में सेवा आयात पिछले साल के मुक़ाबले इस साल 0.4 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ घटकर 248 बिलियन डॉलर रहा ।

रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु :–

सेवा क्षेत्र के निर्यात में दुनिया में 2023 में 2022 की तुलना में 8.9% की वृद्धि के साथ यह बढ़ कर 7.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है ।

निर्यात में हुई इस वृद्धि का श्रेय अंक ताड़ के द्वारा मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नए क्षेत्र का खुलना बताया गया।

परिवहन क्षेत्र में इसी अवधि में 12 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली ।

अंकटाड के अनुसार 2023 में शीर्ष सेवा निर्यात करने वाले देश

यूएसए दुनिया में सेवा निर्यातक सबसे बड़ा देश है जबकि यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर आता है ।

भारत, 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है।

2023 में विश्व के शीर्ष 5 सेवा निर्यातक विकसित देश

संयुक्त राज्य अमेरिका :– $999 बिलियन
यूनाइटेड किंगडम :– $584 बिलियन
जर्मनी :– $440 बिलियन
आयरलैंड :–$398 बिलियन
फ्रांस :–$356 बिलियन

2023 में शीर्ष सेवा निर्यातक विकासशील देश

चीन :– $381 बिलियन
भारत :– $345 बिलियन
सिंगापुर:– $328 बिलियन
तुर्किये :– $101 बिलियन
हांगकांग :– $99 बिलियन

अंकटाड के अनुसार 2023 में विश्व के शीर्ष सेवा आयातक देश :–

Result Mitra

अमेरिका दुनिया में अग्रणी सेवा आयातक देशों में पहला था अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन का स्थान है । जबकि भारत 9वां दुनिया का सबसे बड़ा सेवा-आयात करने वाला देश था।

2023 में शीर्ष 5 अग्रणी सेवा-आयात करने वाले विकसित राष्ट्र

संयुक्त राज्य अमेरिका :– $719 बिलियन
जर्मनी :– $508 बिलियन
यूनाइटेड किंगडम :– $394 बिलियन
आयरलैंड :– $389 बिलियन
फ़्रांस :– $323 बिलियन

2023 में दुनिया में शीर्ष 5 सेवा आयात करने वाले विकासशील देश

चीन :– $552 बिलियन
सिंगापुर :– $295 बिलियन
भारत :– $ 248 बिलियन
सऊदी अरब :– $96 बिलियन
ब्राज़ील :– $83 बिलियन

भारत का सेवा निर्यात आईटी, यात्रा और व्यावसायिक सेवाओं में उत्कृष्ट है।

निर्यात स्थलों में विविधता लाने से इस क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जा सकता है।

Result Mitra